

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03 जून, 2009

वेष्य :- सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गयी नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु मार्गदर्शन।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में अद्यतन संशोधित कार्यपालिका नियमावली के नियम 22(3) से 22(5) में प्रावधान किए गए हैं। कतिपय मामलों के संदर्भ में नियम 32(क) में भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 434 दिनांक 01.03.07 तथा संकल्प संख्या 1697 दिनांक 28.05.08 द्वारा इसी संदर्भ में सरकार के नीतिगत निर्णय संसूचित हैं। विभाग का यह दायित्व है कि सभी स्थानांतरण एवं पदस्थापन में उपर्युक्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. विभागों द्वारा वर्ष 2008 के जून माह में किए गए स्थानांतरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के बाद यह तथ्य सामने आया था कि कई मामलों में नियमों का पालन नहीं हुआ था अतः स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित नियमों एवं संकल्पों के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन नीचे दिए जा रहे हैं :-

(1) सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार जून माह में ही किया जाना है। जून माह से भिन्न माह में मात्र प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण सक्षम स्तर के एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाना है। किन्तु कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से होने वाले स्थानांतरणों में भी स्पष्ट कारण संचिका पर अंकित होने चाहिए। कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण/पदस्थापन के संदर्भ में आगे की कंडिका में और स्पष्ट मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं।

(2) गृह जिला में पदस्थापन — सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में ही पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। इससे भिन्न सभी मामलों में, जिला सम्मर्ग को छोड़कर, किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को गृह जिला का पद नहीं माना जाएगा।

(3) तीन वर्षों की सेवावधि पूरी होने के पश्चात् ही स्थानांतरण किए जाने हैं। यदि किसी विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिए किसी पद विशेष के लिए स्थानांतरण हेतु सेवावधि दो वर्षों की निर्धारित की गयी हो, तो वही लागू होगी।

स्थानान्तरण हेतु निर्धारित सेवावधि वर्ष 2009 के संदर्भ में 30 जून, 2009 तक ही पूरी होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कर्मचारी का पूर्व पद पर पदस्थापन 02 जुलाई, 2006 (जहां सेवावधि दो वर्षों की है वहां 02 जुलाई 2007) को या उसके बाद हुआ हो, तो वैसे कर्मियों की सेवावधि स्थानांतरण हेतु पूरी नहीं मानी जाएगी।

(4) सेवावधि सामान्यतः तीन वर्ष (आपवादिक स्थिति में विशेष आदेश से दो वर्ष) पूरी होने के पूर्व स्थानांतरण/पदस्थापन के आपवादिक मामलों में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाए :-

(1) **प्रशासनिक कारण :**

- क) प्रोन्नति होने पर अथवा वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर पदस्थापन किए जा सकते हैं।
- ख) न्यायालय के आदेश से, यदि आवश्यक हो, स्थानांतरण/पदस्थापन किए जा सकते हैं।

- ग) प्रतीक्षारत कर्मियों अथवा दूसरे विभाग से सेवा प्राप्त कर्मियों का पदस्थापन किया जा सकता है।
- घ) यदि कोई अन्य प्रशासनिक कारण हो, तो उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख सचिका में अदृश्य होना चाहिए। ऐसे कारण औचित्यपूर्ण होने चाहिए। यदि असंतोषप्रद कार्य के कारण स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है, तो वैसे कर्मियों का पदस्थापन कम महत्व के स्थान पर ही दिया जाना चाहिए।

प्रशासनिक कारणों से किए जा रहे ऐसे स्थानांतरणों के मामलों में भी पूर्ण पारदर्शिता बरता जाना आवश्यक होगा।

- ङ) यदि उच्चतर पद पर पदस्थापन आवश्यक हो, और उस वेतनमान के पदाधिकारी उपलब्ध न हों, तो वैसे पद पर वित्त विभाग के परिपत्र के आलोक में ही पदस्थापन किया जाना चाहिए।

(II) अभ्यावेदन के आधार पर :

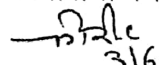
सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अभ्यावेदन के मामलों में भी कारण यथेष्ट और औचित्यपूर्ण होने पर ही, सेवावधि पूरी होने के पूर्व, स्थानांतरण/पदस्थापन किए जा सकते हैं। इसमें सामान्यतः निम्न प्रकार के मामले आएंगे :-

- क) सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो।
- ख) पति एवं पत्नी का एक जगह पदस्थापन का अनुरोध हो।
- ग) कर्मचारी स्वयं गंभीर अस्वस्थ हो।
- घ) सेवक के निकट परिवार के किसी सदस्य (उसकी पत्नी या पति, उनके बच्चे, उसके माता-पिता अथवा, पत्नी अथवा पति, के माता-पिता) की गंभीर अस्वस्थता।
- (5) कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची-4 के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन स्थानांतरण/पदस्थापन के आदेश जारी किए जा सकते हैं। कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 के तहत इनसे भिन्न स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया से संबंधित कोई आंतरिक आदेश निकालने के पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शनों का पूर्ण पालन करते हुए कार्यपालिका नियमावली के नियमों एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा निर्गत संकल्पों के प्रावधानों के तहत ही स्थानांतरण/पदस्थापन अपने विभाग में सुनिश्चित किया जाए।

4. यह भी अनुरोध है कि कार्यपालिका नियमावली के नियमों, मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्पों तथा उपर्युक्त मार्गदर्शनों से अपने विभागीय मंत्री को भी अवगत कराने की कृपा करें, जिससे उन निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

विश्वासभाजन,

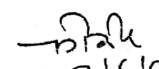

31/6/09
(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक - मं०मं०-01/आर०-28/2006.....881.....

पटना, दिनांक 03 जून, 2009

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय राज्य मंत्रिगण के आप्त सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे माननीय मुख्य मंत्री/माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री को उपर्युक्त सभी प्रावधानों एवं मार्गदर्शन से अवगत करा देंगे।


31/6/09
(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

पत्रांक. - मंमं०-०१/आर०-२८/२००६-४३४ दिनांक १/३/०७

१६८

संकल्प

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०-३९१८ दिनांक-२५.१०.१९८० द्वारा किया गया था। उसके पश्चात् संदर्भित संकल्प के खंड (क) (१) में भी आंशिक संशोधन विभागीय संकल्प सं०-२०७९ दिनांक-१८.११.२००६ द्वारा किया गया था। अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार किया गया एवं वर्तमान नीति एवं प्रक्रिया को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए उपर्युक्त पूर्वदेश को अवकमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

१) क) सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जायेगा; प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कारणों में सक्षम पदाधिकारी स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए स्थापना समिति नहीं रहेगी, बल्कि प्रभारी पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवक, जो अपने वर्तमान पद पर ३ साल पूरे कर चुके हैं, उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उपस्थापित करेंगे। सामान्यतया निम्नलिखित मार्गदर्शन निर्धारित किये जाते हैं :-

i) पदाधिकारी/कर्मचारी ३ वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं। किसी विशेष पद या स्थान के लिए यह अवधि २ वर्ष भी हो सकती है जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित किया जायेगा।

ii) जहाँ तक संभव हो, सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोकाम स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी, जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में कोई अभ्यावेदन देना चाहे, तो वे प्रत्येक साल के अप्रैल तक अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी के पास विचार हेतु भेज सकता है। अगर पदाधिकारी/कर्मचारी के अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है, तो उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा पारयमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

ग) यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र-पुस्ति में दर्ज कर दी जाएगी।

घ) सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना-पत्र संबोधित किये जाने की प्रवृत्ति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरुद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

च) नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब विरमित कर देंगे।

छ) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की गृह जिला में पदस्थापन (जिला संवर्ग को छोड़कर) नहीं किया जायेगा।

ज) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की पत्नी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

झ) यथासंभव पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा, अगर पति-पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हों। लेकिन जहाँ पति अथवा पत्नी में एक पद ऐसा हो, जिसका स्थानान्तरण संभव नहीं है, यथा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित शिक्षण कार्य में संलग्न चिकित्सक आदि, तो वैसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।

२) यह देखा जाता है कि प्रायः पदाधिकारी/कर्मचारी अपने गृह जिला के पड़ोसी जिला में पदस्थापन चाहते हैं। यथासंभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

३) सचिव अपने मंतव्य के साथ स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रस्ताव मंत्री को उपस्थापित करेंगे। मंत्री का आदेश अंतिम होगा।

- 4) किसी भी हालत में किसी विभाग में संवर्ग बल के कुल कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के 10 प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण/पदस्थापन एक वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति अथवा कार्यहित में ऐसी आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का आदेश प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।
- 5) उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित रूप में स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम प्राधिकार के स्तर से निपटाये जायेंगे :-

विषय	सक्षम प्राधिकार
1. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
2. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के ऊपर के दो ग्रेड्स एवं समकक्ष ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
3. राजपत्रित सेवाओं के उपर्युक्त (1) एवं (2) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न एवं राज्य सेवाओं के वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मुख्य सचिव के मार्फत से मुख्यमंत्री
4. विभागाध्यक्षों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन एवं प्रोन्नति के सभी प्रस्ताव तथा विभागीय सचिवों, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के पदस्थापन संबंधी सभी प्रस्ताव।	मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
5. बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मियों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण।	विभागाध्यक्ष

6) यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इनकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को पूरा एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - म0म0-01/आर0-28/2006 434 दिनांक 1/3/07

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी राज्यमंत्रीयों के आप्त सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव

2007